



RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

Receipt No. _____

Dated _____ Cashier _____

Form of Application for Issue of University Certificate

विश्वविद्यालय प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र

(Provisional, Migration, Special etc.)

(अन्तिम, प्रव्रजन, विशेष प्रमाण-पत्र आदि के लिए)

(To be filled in by the Applicant-Before filling in the form, see instruction on reverse).

(प्रार्थी स्वयं भरें – फार्म भरने से पहले पिछली ओर निर्देश देखें)

- Name of Applicant _____
आवेदक का नाम _____
 - Father's Name _____ Mother's Name _____
पिता का नाम _____ माता का नाम _____
 - University Enrolment No. _____
विश्वविद्यालय नामांकन संख्या _____
 - Nature of Certificate _____
प्रमाण-पत्र का प्रकार _____
 - PARTICULARS OF LAST EXAMINATION:
अन्तिम परीक्षा का विवरण :-
Examination _____ Year _____ Annual/Supplementary _____ Roll No _____
परीक्षा _____ वर्ष _____ वार्षिक/अनुपूरक _____ अनुक्रमांक _____
Result: Pass/Failed/Absent _____ Marks Obtained/Total _____ Division _____
परिणाम: उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित _____ प्राप्तांक/पूर्णांक _____ श्रेणी _____
 - Name of Class and College from which the Candidate took the last Examination.
परीक्षार्थी ने पिछली जिस कॉलेज में दी थी
उसका नाम और कक्षा _____
 - In case a candidate applies for a Migration Certificate :
यदि परीक्षार्थी प्रव्रजन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर रहा है।
(i) Name of the University to which the candidate wants to migrate _____
परीक्षार्थी किस विश्वविद्यालय में जाना चाहता है _____
(ii) Course/Course pursuing separately or simultaneously _____
अलग-अलग या एक साथ कौन से पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन कर रहा है _____
- Dated _____ Signature of Applicant _____
तारीख _____ आवेदक के हस्ताक्षर _____
Postal Address _____
पत्राचार का पता _____

(To be filled in by the College/ Deptt. /Institution Office last attended)

(आवेदक अन्तिम बार जिस कॉलेज/विभाग/संख्या में था, उसके कार्यालय द्वारा भरा जाए)।

Certified that the above entries made by the applicant are correct and that he/she has paid College dues upto _____ (Mention month & Year)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने ऊपर जो प्रविष्टियाँ भरी हैं वह सही हैं और इन्होंने _____ तक कॉलेज का शुल्क आदि सभी भुगतान कर दिया है। (माह और वर्ष का उल्लेख करें)

Note: Where a student has joined more than one course, the

Application should be signed by the respective Heads of the Deptt./Institution concerned.

नोट : जब किसी छात्र ने एक से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो तो आवेदन पर सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/संस्था-प्रमुखों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

Principal/Head of the Deptt./ institution
प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष/संस्थागत

(Stamp of the College/Deptt./Institution)
(कॉलेज/विभाग/संस्था की मुहर)

For Office use only :-

Received the above Certificate No. _____

उपर्युक्त प्रमाण पत्र-संख्या _____

Dated _____ on _____ .

दिनांक _____ को प्राप्त हुआ।

Signature of the Applicant
आवेदक के हस्ताक्षर

Dated _____

दिनांक _____

INSTRUCTION / निर्देश

1. The particulars of the student given in the form should correspond with those appearing in the Certificates issued to him/her from time to time.
विद्यार्थी द्वारा फार्म में दी गई जानकारी मैट्रीकुलेशन अथवा सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा तुल्यमान परीक्षा के अनुरूप होनी चाहिए।
2. The application form must be signed by the student and in no case by someone also on his/her behalf.
प्रार्थना पत्र आवश्यक रूप में विद्यार्थी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और किसी भी स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उसके एवज में हस्ताक्षर नहीं करेगा/करेगी।
3. The prescribed Fee for the required Certificate can be remitted by CASH or DEMAND DRAFT drawn in favour of the Registrar, Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.
अपेक्षित प्रमाण-पत्र के लिए आवश्यक शुल्क नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कुलसचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के नाम भेजा जाना चाहिए।
4. At the time of submission of the application for issue of Migration Certificate the applicant should bring his/her original Degree Certificate or Statement or Marks of Final Year or provisional Certificate issued by the college last attended by him/her for verification. Applicant applying by post may submit a photo copy (duly attested) of the said Certificate.
प्रव्रजन प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र देते समय प्रार्थी अपने मूल उपाधि प्रमाण-पत्र या अंक तालिका अथवा कॉलेज द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र जो कि उसी चालू वर्ष का हो, इसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में समय-समय पर प्रदान किये हैं आवश्यक जांच हेतु अपने साथ लाये। डाक द्वारा या प्रार्थना-पत्र देने वाले प्रार्थी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजें एवं प्रार्थना-पत्र कॉलेज/विभाग/संस्था द्वारा मोहर सहित सत्यापित होना चाहिए, अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. Duplicate Migration Certificate can be issued only in case the same has been lost, destroyed or mutilated on submission of an affidavit drawn up on a non-judicial stamp paper of the value of Rs. 10/- to be sworn before a 1st class Magistrate / Notary Public on the following format. This may be noted that the suppression of facts and furnishing of wrong affidavit will tantamount to an offence and the applicant, if he/she does so, shall do it at his/her own risk and consequences. The affidavit has to be signed by the applicant, himself/herself only.
दुप्लिकेट प्रव्रजन प्रमाण पत्र नीचे दिये गए प्ररूप में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष 10 रु. मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ ग्रहण किए गए हलफनामे को प्रस्तुत करने पर केवल तभी जारी किया जा सकता है जब यह खो गया हो, नष्ट हो गया हो या कट/फट गया हो। उल्लेखनीय है कि तथ्यों को छिपाना तथा गलत हलफनामा प्रस्तुत करना अपराध के बराबर होगा तथा आवेदक, अगर वह ऐसा करता/करती है, अपने स्वयं के जोखिम एवं परिणामों पर ऐसा करेगा। हलफनामे पर आवेदक को स्वयं ही हस्ताक्षर करने होंगे।
Language of affidavit\ हलफनामे की भाषा
“I _____ Son / Daughter of _____ resident of _____ hereby solemnly declare that the Migration Certificate No. _____ Dated _____ Issued to me by the Registrar, Raj Rishi Bhartrihari Matsya University to enable me to join _____ University has been lost and that I did not join any other University on basis of the same nor have I Submitted the same for joining any other University.”
Deponent
Verification : - Verified at _____ on _____ that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therein.
Deponent
“मैं _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी _____ सत्यभाव से घोषणा करता/करती हूँ कि _____ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में मुझे समर्थ बनाने के लिए रजिस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा मुझे जारी किया गया प्रव्रजन प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____ खो गया है तथा यह कि इसके आधार पर मैंने किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है और न ही मैंने किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इसे जमा किया है।”
अभिसाक्षी
सत्यापन _____ को _____ पर सत्यापित किया गया कि 'उपर्युक्त हलफनामे की अंतर्वस्तुएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सच्ची एवं ठीक है तथा इसमें कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।'
अभिसाक्षी
6. Provisional Certificate can be issued only before the date of University Convocation for that particular year.
अनन्तिम प्रमाण-पत्र केवल उस वर्ष विशेष के दीक्षान्त समारोह की तिथि से पहले जारी किया जाएगा।
7. A student, who has migrated from this University to pursue some course in other University and has rejoined Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar for pursuing any course here, will have to get revived his/her enrolment number from Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar soon after the time of his/her admission in the College/Department on production of the Original Migration Certificate from the other University.
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात जिस विद्यार्थी ने इस विश्वविद्यालय से प्रव्रजन प्रमाण-पत्र लेकर किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई पाठ्यक्रम पूरा किया है अथवा अधूरा छोड़ दिया है और जब पुनः राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में प्रवेश लिया है तो पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रव्रजन प्रमाण पत्र जमा करा प्रवेश लेने के बाद अपनी पुरानी नामांकन संख्या ही रहेगी।
8. Such Students, who seek migration from this University without completing the course, will have to submit his/her College/Department leaving certificate in original, and undertaking to the effect that he/she surrenders his/her result, duly counter signed by the Principal/ Head of the Department.
जो विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम अधूरा छोड़कर इस विश्वविद्यालय से प्रव्रजन प्रमाण-पत्र लेना चाहते हैं उन्हें अपने महाविद्यालय या विभाग से महाविद्यालय त्यजन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस संबंध में शपथबंध देना होगा कि विद्यार्थी ने अपने पूर्व घोषित परिणाम का अभ्यर्थन कर दिया है।
9. The delivery of the Certificate will ordinarily be made in person to the Candidate or to his nominee authorised in writing, at the University Office during working hours. In respect of candidates who fail to collect the Certificate within one month from the date of payment of fees, the certificate will be sent to their postal address Under Certificate of posting at their own risk. If a candidate wishes that the certificate be sent to him/her by registered post at his/her own risk, he/she should along with the application form submit a self addressed envelope with postage stamps of the prescribed value of a registered letter. Objection letter must be replied within three months from the date of issue of letter otherwise University will have no responsibility.
प्रमाणपत्र की सुपूर्दगी स्वयं अभ्यर्थी को या लिखित में अधिकृत उसके नामिनी को विश्वविद्यालय के कार्यालय में कार्य घंटों के दौरान मूल रोकड रसीद प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी। रसीद गुम हो जाने की स्थिति में उसकी अपनी जोखिम पर प्रमाण-पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा। शुल्क जमा कराने की तिथि से एक माह के अंदर प्रमाण-पत्र एकत्र करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, प्रमाण पत्र को उनके स्वयं के जोखिम पर प्रेषण प्रमाण पत्र के अंतर्गत पत्राचार के उनके पते पर भेज दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी उसके स्वयं के जोखिम पर चाहता है कि प्रमाण पत्र उसे पंजीकृत डाक से भेजा जाए, जो आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत पत्र के लिए निर्धारित मूल्य के डाक टिकटों के साथ अपना पता लिखा लिफाफा भी जमा करना चाहिए। आपत्ति का जबाब पत्र निर्गत होने की तिथि के तीन महिने के अंदर ही देना होगा, अन्यथा उसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
10. All the public dealings are made from 10.00 A.M. to 1.00 P.M.
जन सम्पर्क हेतु कार्यालय का निर्धारित समय प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक का है।